न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 27/2025

अमीन पुत्र श्री नन्ने खां जाति मुसलमान निवासी मुबारक मस्जिद के पास, गड्डा पहाड़िया टोंक राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री योगेश जैन अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सुपुर्दगीनामा धारा 457, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक–03.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या DD 01 AA 9787 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना रूपनगढ द्वारा धारा 5, 6, 8, 9 पशु अति0 अधिनियम 11(1)(घ) पशु कुरता अधिनियम के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपर्दगीदार अपने वाहन संख्या DD 01 AA 9787 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या DD 01 AA 9787 को सुपुर्दगीनामें पर छुडवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या DD 01 AA 9787 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना रूपनगढ द्वारा धारा 5, 6, 8, 9 पशु अति0 अधिनियम 11(1)(घ) पशु कुरता अधिनियम के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपर्दगीदार अपने वाहन संख्या DD 01 AA 9787 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या DD 01 AA 9787 को सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

जिला कलक्टर
अजमेर

थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 30.09.2025 में अवगत कराया कि दिनांक 28.06.2025 को सांयकालीन गस्त व चैकिग हेतु नाकाबंदी की जा रही थी। दौराने नाकाबन्दी आने जाने वाले वाहनो को चैक किया गया तभी दौराने नाकाबन्दी समय 5.10 ए.एम पर सिणगारा की तरफ से एक कंटेनर रजिस्ट्रेशन नम्बर DD-01-AA-9787 काफी तेज गती आता हुआ नजर आया जिसके चालक ने नाकाबन्दी जाब्ता को बावर्दी देखकर ट्रक को नाकाबन्दी स्थान से पहले थोडी दूरी पर ही रोक दी और ट्रक को साईड में खडी करके ट्रक चालक अंधेरे में रोड के दाहिनी तरफ खेत की तरफ भागता हुआ नजर आया। जिसके उपर संदेह होने पर उक्त शख्स का पीछा कर डिटेन करना चाहा तो उक्त शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर खेत की तरफ भागने में सफल हो गया जो पकड़ में नहीं आया। ट्रक कंटेनर के पास जाकर चैक किया तो ट्रक के पीछे के गेट पर ताला लगा हुआ था तथा ट्रक कंटेनर के अन्दर पशु/जानवर होने जैसी हलचल हो रही थी। कंटेनर के उपर चढकर देखा गया तो कंटेनर ट्रक के उपर छत पर एक दरवाजा बना हुआ जो उपर से रस्सी से बन्धा हुए को खोलकर ट्रक के अन्दर टॉर्च के उजाले से देखा तो कंटेनर ट्रक में जीवित गौवंश भरे हुए मिले। गौवंश को कंटेनर में ठुस ठुस कर भर रखे थे। स्वतंत्र गवाहन की तलाश की लेकिन रात्रि का समय होने से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसी सुरत में डिटेन कंटेनर ट्रक को श्री मेघाराम कानि. को संभलाया जाकर श्री माधव गोशाला सेवा समिति रूपनगढ मे लेने की हिदायत कर मौके से रवाना किया गया। बाद रवाना होकर श्री माधव गोशाला सेवा समिति रूपनगढ में पहुॅचे जहॉ पर श्री किशोर कुमार कानि. व स्वतंत्र गवाह विकास राव पुत्र सत्यनारायण जाति राव निवासी रूपनगढ अजमेर मौजूदा को गवाहान मामूर कर किये गये। कंटेनर ट्रक रजिस्ट्रेशन नम्बर DD-01-AA-9787 के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर डाले को खोलकर गौवंश को नीचे उतार कर उनकी गिनती की गई तो गौवंश की कुल संख्या 33 हुई। सभी गौवंश जीवित हालत में है जिनमें सभी 33 नर बैल (केलडे) है। कंटेनर ट्रक में कुरतापूर्वक भरे गौवंश से मामला अपराध धारा 5,6,8,9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 एवं धारा 11 (1) घ पशु के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत दण्डनीय अपराध होने से कंटेनर ट्रक रजिस्ट्रेशन नम्बर DD 01 AA 9787 में भरे गौवंश 33 नर बैल (केलडे) हव्व हुलिया नस्ल जैल व घटना में प्रयुक्त वाहन कंटेनर ट्रक रजिस्ट्रेशन नम्बर DD 01 AA 9787 को बतौर सबूत जब्त किये जाकर कब्जे पुलिस लिये गये। वाहन को रिलीज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुल्जिमात के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 5, 6,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में जप्तशुदा वाहन संख्या DD-01-AA-9787 का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या DD-01-AA-9787 व गौवंश से सम्बन्धित तफ्दीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी रूपनगढ जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उक्त गौवंश एक राज्य से दूसरे राज्य में ले लाने बाबत प्रार्थी के पास

जिला कलक्टर
अजमेर

सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति आदेश नहीं था, जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमात के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौवंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु निवेदन किया गया हैं। अतः जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन संख्या DD-01-AA-9787 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या DD-01-AA-9787 पर रूपये 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर एवं प्रार्थी से वाहन स्वामित्व सबंध दस्तावेज प्राप्त कर थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त वाहन संख्या DD 01 AA 9787 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,अजमेर